रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10102025-266832
CG-DL-W-10102025-266832

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, सितम्बर 21—सितम्बर 27, 2025, शनिवार/भाद्र 30—आश्विन 5, 1947
No. 16] NEW DELHI, SEPTEMBER 21—SEPTEMBER 27, 2025, SATURDAY/BHADRA 30— ASVINA 5, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2025

का.नि.आ. 34.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा नियम, 2023 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

   (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में,–

(क) उपनियम (13) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(13) वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) और विशिष्ट वैज्ञानिक के मामले के सिवाय, पीयर समिति की सिफारिशें उस वर्ष की एक जुलाई से कार्यान्वित की जाएंगी, जिससे पीयर समिति संबंधित है, जिन मामलों में उप-नियम (16) में यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति की तारीख लागू होगी, और वह तारीख, यानी, उस वर्ष की एक जुलाई, जिससे पीयर समिति संबंधित है, को उस श्रेणी में जिसमें प्रोन्नति की गई है में रेजीडेंसी की गणना करने के लिए प्रोन्निति की और साथ ही प्रोन्नति के लिए स्वीकृत सभी वैज्ञानिकों के संबंध में उस श्रेणी में ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए, प्रभावी तारीख के रूप में माना जाएगा, परंतु कि वे उस तारीख को ड्यूटी पर हों:

परंतु कि वैज्ञानिक जो उस तारीख को छुट्टी पर हैं, वे उस श्रेणी में कार्यभार ग्रहण करेंगे जिसमें उन्हें प्रोन्नत किया गया है, जो उनके ड्यूटी पर लौटने की तारीख से प्रभावी होगा, किंतु इससे उसी पीयर समिति द्वारा प्रोन्नति के लिए स्वीकृत अन्य वैज्ञानिकों की तुलना में उच्चतर श्रेणी में उनकी प्रोन्नति की प्रभावी तारीख प्रभावित नहीं होगी।";

(ख) उपनियम (16) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(16) वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) और विशिष्ट वैज्ञानिक की श्रेणी में प्रोन्नति, सक्षम प्राधिकारी के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात पद का कार्यभार संभालने की तारीख से कार्यान्वित की जाएगी और वैज्ञानिक 'जी' या वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए निर्धारण या ऐसे निर्धारण के परिणाम की घोषणा में, प्रशासनिक कारणों से देरी होने की दशा में, प्रोन्नति की प्रभावी तारीख उस वर्ष की एक जुलाई होगी जिससे पीयर समिति संबंधित है या प्रोन्नति की प्रभावी तारीख के रूप में पीयर समिति द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से सिफारिश की गई कोई अन्य बाद की तारीख होगी और यह तारीख रेजीडेंसी, ज्येष्ठता और उप-नियम (13) के अधीन उपबंधित समान तरह के अन्य मामलों को शासित करेगी।

3. उक्त नियमों की अनुसूची 4 के भाग क में क्रम संख्या (vi) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(vi) महानिदेशक मानव संसाधन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन - सदस्य .".

4. उक्त नियमों में, अनुसूची 6 और अनुसूची 7 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"अनुसूची 6
[नियम 8(5), नियम 8(6), नियम 8(7) और नियम 8(9) देखिए]

रेजीडेंसी वर्षों में	प्रोन्नति निर्धारण के लिए अपेक्षित वार्षिक कार्य अंकन रिपोर्ट में न्यूनतम औसत अंक (%)					
	वैज्ञानिक 'बी'	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'**	वैज्ञानिक 'जी'
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	85	#	#	#	-	
4	80	85	85	85	#	90&
5	75	80	80	80	85@	85@
6	70	75	75	75	85*	85*
7	70	70	70	75	80	80
8 या ज्यादा	70	70	70	75	75	75

वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'जी' के पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारण हेतु पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

(क) # वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'एफ' तक प्रत्येक वर्ष निरंतर 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले न्यूनतम रेजीडेंसी में एक वर्ष के शिथलीकरण के लिए अर्हित हो जाएंगे और ऐसा शिथलीकरण एक वैज्ञानिक के पूरे करियर में दो बार तक सीमित होगा जैसा नियम 8 के उप-नियम (9) के खंड (x) में विहित है।

(ख) & प्रत्येक वर्ष की वार्षिक निष्पादन अंकन रिपोर्ट में लगातार 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ग) @ प्रत्येक वर्ष की वार्षिक निष्पादन अंकन रिपोर्ट में लगातार 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अपेक्षित है।

*(घ) * पूर्ववर्ती पांच वर्षों की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अपेक्षित है तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में 85% से कम अंक न हो।*

*(ङ) ** विद्दमान मानदंडों के अनुसार निर्धारण के लिए पहले से ही विचार किए गए वैज्ञानिक 'एफ' के संबंध में वैज्ञानिक 'जी' की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विद्यमान निर्धारण की पात्रता मानदंडों के अनुसार विनिश्चय होना जारी रहेगी।*

टिप्पण 1: *अगले उच्चतर श्रेणी में निर्धारण के लिए पात्र होने के लिए, वैज्ञानिकों को उनकी विचाराधीन वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में न्यूनतम औसत अंक प्राप्त करना चाहिए जैसा उपर उपदर्शित किया गया है और साथ ही उनकी विचाराधीन वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए, जैसा उपरोक्त सारणीबद्ध है, जो विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न रेजीडेंसी अवधियों के लिए यथाविनिर्दिष्ट है।*

टिप्पण 2: *(i) वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'डी' तक के लिए, जिनके उनकी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में औसत अंक 70% से कम है और जिनकी 50% से अधिक विचाराधीन वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में 70% से कम अंक है, वे निर्धारण के लिए पात्र नहीं होंगे।*

(ii) वैज्ञानिक 'ई' और उससे ऊपर के लिए, जिनके उनकी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में औसत अंक 75% से कम हैं और जिनकी 50% से अधिक विचाराधीन वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट में 75% से कम अंक हैं, वे निर्धारण के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iii) प्रोन्नति के लिए तीन वर्षो की रेजीडेंसी अवधि के पश्चात उपस्थित होने वाले वैज्ञानिक 'बी' के सिवाय सभी श्रेणियों में प्रोन्नति हेतु पात्र होने के लिए वर्तमान श्रेणी में न्यूनतम 03 वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट अपेक्षित होंगी, जहां पात्रता के लिए न्यूनतम दो वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

अनुसूची 7

[नियम 2(4), नियम 4(1), और नियम 4(4) देखिए]

रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में शामिल समूह 'क' पदों की संख्या और वेतनमान

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वैज्ञानिक 'बी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100 – 177500)	7772
2.	वैज्ञानिक 'सी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700 – 208700)	
3.	वैज्ञानिक 'डी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु. 78800 – 209200)	
4.	वैज्ञानिक 'ई'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रु. 123100 – 215900)	
5.	वैज्ञानिक 'एफ'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13ए (रु. 131100 – 216600)	
6.	वैज्ञानिक 'जी'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (रु. 144200 – 218200)	
7.	वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (रु. 182200 – 224100)	

8.	विशिष्ट वैज्ञानिक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-16 (रु. 205400 – 224400) *(सरकार द्वारा यथा विनिश्चित व्यक्तिगत उन्नयन, संख्या)*	
9.	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।	1

टिप्पण.— वैज्ञानिक 'बी' से वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) तक के सभी पद योग्यता आधारित लचीली अनुपूरक स्कीम के अधीन आते हैं"।

5. अनुसूची 8 में दिए गए उक्त नियमों में,-

(क) वैज्ञानिक 'बी' के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ संख्या (5) में, "पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं" शब्दों के स्थान पर, "अट्ठाईस वर्ष की आयु से अधिक नहीं" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) वैज्ञानिक 'सी' के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ संख्या (5) में, "चालीस वर्ष से अधिक नहीं" शब्दों के स्थान पर, "पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) वैज्ञानिक 'डी' के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ संख्या (5) में, "पचास वर्ष से अधिक नहीं" शब्दों के स्थान पर, "पैंतालीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) वैज्ञानिक 'ई' के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने,-

(I) स्तंभ संख्या (3) में, उपशीर्षक (क) अनिवार्य के अधीन, खंड (ii) में, "दस" शब्द के स्थान पर, "ग्यारह" शब्द रखा जाएगा;

(II) स्तंभ संख्या (5) में, "पचास वर्ष से अधिक नहीं" शब्दों के स्थान पर, "पैंतालीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) वैज्ञानिक 'एफ' के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ संख्या (3) में, उपशीर्षक (क) अनिवार्य के अधीन, खंड (ii) में, "तेरह" शब्द के स्थान पर, "पंद्रह" शब्द रखा जाएगा;

(च) वैज्ञानिक 'जी' के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ संख्या (3) में, उपशीर्षक (क) अनिवार्य के अधीन, खंड (ii) में, "पंद्रह" शब्द के स्थान पर "पच्चीस" शब्द रखा जाएगा;

(छ) वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने, स्तंभ संख्या (3) में, उपशीर्षक (क) अनिवार्य के अधीन, खंड (ii) में, "पंद्रह" शब्द के स्थान पर "पच्चीस" शब्द रखा जाएगा।

6. अनुसूची 9 के उक्त नियमों में,—

(I) शीर्षक के, कोष्ठक में, "प्रतिनियुक्ति या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(II) वैज्ञानिक 'सी' के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ संख्या (4) में, खंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) रक्षा सेवा वेतन मैट्रिक्स (69400-207200 रुपये) के वेतन स्तर 11 में सशस्त्र बल सेवा कार्मिक, मेजर या समतुल्य रैंक के अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए";

(III) वैज्ञानिक 'डी' के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ संख्या (4) में, खंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) रक्षा सेवा वेतन मैट्रिक्स (69400-207200 रुपये) के वेतन स्तर 11 में तीन वर्ष की सेवा वाले सशस्त्र बल सेवा कार्मिक, अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए";

(IV) वैज्ञानिक 'ई' के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ संख्या (4) में, खंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) रक्षा सेवा वेतन मैट्रिक्स (121200-212400 रुपये) के वेतन स्तर 12क में सशस्त्र बल सेवा

कार्मिक, अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए;

या

रक्षा सेवा वेतन मैट्रिक्स (69400-207200 रुपये) के वेतन स्तर 11 में सात वर्ष की सेवा के साथ";

(V) वैज्ञानिक 'एफ' के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ संख्या (4) में, खंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) रक्षा सेवा वेतन मैट्रिक्स (130600-215900 रुपये) के वेतन स्तर 13 में सशस्त्र बल सेवा कार्मिक, अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए;

या

रक्षा सेवा वेतन मैट्रिक्स (121200-212400 रुपये) के वेतन स्तर 12क में पांच वर्ष की सेवा के साथ";

(VI) वैज्ञानिक 'जी' के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ संख्या (4) में, खंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) रक्षा सेवा वेतन मैट्रिक्स (144200-218200 रुपये) के वेतन स्तर 14 में सशस्त्र बल सेवा कार्मिक, अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए;

या

रक्षा सेवा वेतन मैट्रिक्स (139600-217600 रुपये) के वेतन स्तर 13क में तीन वर्ष की सेवा के साथ।"

7. उक्त नियमों में**,** अनुसूची 12 के खंड **(**ख**)** में**,** "उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान**"** शब्दों के पश्चात् **"**या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष द्वारा यथाविनिश्चित किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय**"** शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. डीएचआरडी/76102/डीआरडीएस/सीआरएंडआरआर/सी/एम/01(खंड. III)/987/डी(आरएंडडी) /2025

तारीख, 16 सितम्बर, 2025]

एवन कुमार शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में संख्या का.नि.आ. 72, तारीख 25 मई, 2023 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department Of Defence Research And Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2025

S.R.O. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Service Rules, 2023, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8,—

   (a) for sub-rule (13), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

   "(13) The recommendations of the Peer Committee shall be implemented from the first July of the year to which Peer Committee pertains, except in the case of Scientist 'G', Scientist 'H' (Outstanding Scientist) and Distinguished Scientist, in which cases the date of promotion as specified in sub-rule (16) shall apply, and that date, that is, the first July of the year to which the Peer Committee pertains, shall be treated as the effective date of promotion for reckoning residency in the grade to which promotion is effected as well as for determining seniority in the grade in respect of all Scientists cleared for promotion provided, they are on duty on that date:

   Provided that the Scientists who are away on leave on the date, shall assume charge in the grade to which they are promoted with effect from the date they resume duty but this shall not affect their effective date of promotion in the higher grade *vis-à-vis* the other Scientists cleared for promotion by the same Peer Committee.";

   (b) for sub-rule (16), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

   "(16) Promotions to the grade of Scientist 'G', Scientist 'H' (Outstanding Scientist) and Distinguished Scientist shall be implemented from the date of assumption of charge of the post after due approval of the competent authority and in case of delay in assessment for promotion or declaration of result of such assessment to the grade of Scientist 'G' or Scientist 'H' (Outstanding Scientist), due to administrative reasons, the effective date of promotion shall be the first July of the year to which the Peer Committee pertains or any other later date specifically recommended by the Peer Committee as the effective date of promotion and this date shall govern residency, seniority and other things of a similar kind as provided under sub-rule (13).".

3. In the said rules, in Schedule IV, in Part A, for serial number (vi) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:–

   "(vi) Director General Human Resources, Defence Research and Development Organisation - Member.".

4. In the said rules, for Schedule VI and Schedule VII, the following Schedules shall be substituted, namely:–

“SCHEDULE VI

[See rules 8(5), 8(6), 8(7) and 8(9)]

Residency in years	Minimum Average Marks (%) in Annual Performance Appraisal Report required for Assessment for Promotion					
	Scientist ‘B’	Scientist ‘C’	Scientist ‘D’	Scientist ‘E’	Scientist ‘F’**	Scientist ‘G’
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	85	#	#	#	-	-
4	80	85	85	85	#	90&
5	75	80	80	80	85@	85@
6	70	75	75	75	85*	85*
7	70	70	70	75	80	80
8 or more	70	70	70	75	75	75

Eligibility Criteria for assessment for promotion of Scientist ‘B’ to Scientist ‘G’ shall be as follows:-

(a) # Scientist ‘C’ to Scientist ‘F’ securing consistently 90% or above marks in each year shall qualify for relaxation of one year in minimum residency and such relaxation shall be limited to two times in the entire career of a Scientist as prescribed in clause (x) of sub-rule (9) of rule 8.

(b) & requires 90% marks or above consistently in Annual Performance Appraisal Reports of each year.

(c) @ requires 85% marks or above consistently in Annual Performance Appraisal Reports of each year.

(d) * requires 80% marks or above in preceding five years Annual Performance Reports and not less than 85% marks in the preceding three years Annual Performance Reports.

(e) ** eligibility for Assessment for promotion to the grade of Scientist ‘G’ in respect of Scientist ‘F’ already considered for assessment as per existing criteria shall continue to be decided as per the existing criteria.

Note 1: To be eligible for assessment to the next higher grade, Scientists should secure minimum average marks in their Annual Performance Reports under consideration as indicated above and should also secure minimum marks in not less than 50% of their Annual Performance Reports under consideration as specified for different residency periods in different grades as tabulated above.

Note 2: (i) For Scientist ‘B’ to Scientist ‘D’ those having less than 70% as average marks in their Annual Performance Reports and those having less than 70% marks in more than 50% of their Annual Performance Reports under consideration, shall not be eligible for the assessment.

(ii) For Scientist ‘E’ and above those having less than 75% as average marks in their Annual Performance Reports and those having less than 75% marks in more than 50% of their Annual Performance Reports under consideration, shall not be eligible for the assessment.

(iii) Minimum three Annual Performance Reports in the present grade shall be required to be eligible for promotion in all grades except for Scientist ‘B’ appearing after three years residency period for promotion, where minimum two Annual Performance Reports will be considered for eligibility.

SCHEDULE VII
[See rules 2(4), 4(1) and 4(4)]

Number and scales of pay of Group 'A' posts included
in the Defence Research and Development Service.

S. No.	Designation of post	Level in the pay matrix	Number of posts
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scientist 'B'	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100 – 177500)	7772
2.	Scientist 'C'	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700)	
3.	Scientist 'D'	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800 – 209200)	
4.	Scientist 'E'	Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100 – 215900)	
5.	Scientist 'F'	Level-13A in the pay matrix (Rs. 131100 – 216600)	
6.	Scientist 'G'	Level-14 in the pay matrix (Rs. 144200 – 218200)	
7.	Scientist 'H' (Outstanding Scientist)	Level-15 in the pay matrix (Rs. 182200 – 224100)	
8.	Distinguished Scientist	Level-16 in the pay matrix (Rs. 205400 – 224400) *(Personal upgradation, number as decided by Government)*	
9.	Scientific Adviser to Raksha Mantri and Chairperson, Defence Research and Development Organisation	As decided by the Central Government from time to time.	1

Note.— All the posts from Scientist 'B' to Scientist 'H' (Outstanding Scientist) are covered under Merit based
Flexible Complementing Scheme.".

5. In the said rules, in Schedule VIII,-

(a) against serial number 1 relating to the post of Scientist 'B', in column number (5), for the words "Not exceeding thirty-five years of age", the words, "Not exceeding twenty-eight years of age" shall be substituted;

(b) against serial number 2 relating to the post of Scientist 'C', in column number (5), for the words "Not exceeding forty years of age", the words "Not exceeding thirty-five years of age" shall be substituted;

(c) against serial number 3 relating to the post of Scientist 'D', in column number (5), for the words "Not exceeding fifty years of age", the words "Not exceeding forty-five years of age" shall be substituted;

(d) against serial number 4 relating to the post of Scientist 'E',-

(I) in column number (3), under the sub-heading (a) Essential:, in clause (ii), for the word "ten", the word "eleven" shall be substituted;

(II) in column number (5), for the words "Not exceeding fifty years of age", the words "Not exceeding forty-five years of age" shall be substituted;

(e) against serial number 5 relating to the post of Scientist 'F', in column number (3), under the sub-heading (a) Essential:, in clause (ii), for the word "thirteen", the word "fifteen" shall be substituted;

(f) against serial number 6 relating to the post of Scientist 'G', in column number (3), under the sub-heading (a) Essential:, in clause (ii), for the word "fifteen", the word "twenty-five" shall be substituted;

(g) against serial number 7 relating to the post of Scientist 'H' (Outstanding Scientist), in column number (3), under the sub-heading (a) Essential:, in clause (ii), for the word "fifteen", the word "twenty-five" shall be substituted.

6. In the said rules, in Schedule IX,—

(I) in the heading, in the brackets, the words "Deputation or" shall be omitted;

(II) against serial number 2 relating to the post of Scientist 'C', in column number (4), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:–
"(iii) for re-employment of armed forces service personnel, officers in the rank of Major or equivalent in pay level 11 of the defence services pay matrix (Rs 69400-207200)";

(III) against serial number 3 relating to the post of Scientist 'D', in column number (4), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:–
"(iii) for re-employment of armed forces service personnel, officers with three years service in pay level 11 of the defence services pay matrix (Rs 69400-207200)";

(IV) against serial number 4 relating to the post of Scientist 'E', in column number (4), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:–
"(iii) for re-employment of armed forces service personnel, officers in pay level 12A of defence services pay matrix (Rs 121200-212400);
or
with seven years service in pay level 11 of the defence services pay matrix (Rs 69400-207200)";

(V) against serial number 5 relating to the post of Scientist 'F', in column number (4), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:–
"(iii) for re-employment of armed forces service personnel, officers in pay level 13 of defence services pay matrix (Rs 130600-215900);
or
with five years service in pay level 12A of the defence services pay matrix (Rs 121200-212400)";

(VI) against serial number 6 relating to the post of Scientist 'G', in column number (4), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:–
"(iii) for re-employment of armed forces service personnel, officers in pay level 14 of defence services pay matrix (Rs 144200-218200);
or
with three years service in pay level 13A of the defence services pay matrix (Rs 139600-217600).".

7. In the said rules, in Schedule XII, in clause (b), after the words "Advanced Technology", the words "or any other recognised Institute or University as decided by the Chairperson, Defence Research and Development Organisation" shall be inserted.

[F.No. DHRD/76102/DRDS/CR&RR/C/M/01(Vol.III)/987/D(R&D)/2025
dated, 16 September, 2025]

AVON KUMAR SHARMA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4 *vide* No. SRO 72, dated the 25 May, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2025

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ज्येष्ठ सहायक (हिंदी) और सहायक (हिंदी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 को जहां तक उनका संबंध सहायक (हिंदी) पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवाद

अधिकारी पद की भर्ती की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.– वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	47* (2025) *कार्य भार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 06 (35400रू-112400)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेश या आदेशों अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की शिथिल की जा सकती हैं)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन	आवश्यक अर्हताएं: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर के साथ स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर के साथ स्नातक स्तर पर अनिवार्य या

					आयोग द्वारा विज्ञापन के अनुसार होगी।	वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर के साथ स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर के साथ स्नातक पर अनिवार्य या वैकल्पिक या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी; और (ख) हिंदी से अंग्रेजी में एवं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र कार्यालय में विपर्ययेन हिंदी से अंग्रेजी और अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधी	परिवीक्षा की	भर्ती की प्रक्रिया,	प्रोन्नति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो	भर्ती प्रक्रिया

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	अवधि, यदि कोई है।	सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वह श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाए।	उसकी संरचना क्या है	की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। केन्द्रीय सरकार के एसे अधिकारी,- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने	लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) के सदस्यः- 1. महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष; 2. निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन – सदस्य; 3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय (अनुसंधान और विकास), या उप निदेशक सशस्त्र सेना मुख्यालय, सिविल सेवा, रक्षा मंत्रालय – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

		वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो।			

[फा. सं. डीएचआरडी/17305/विविध/सी/पी/04/986/डी(आर एण्ड डी) तारीख, 16 सितम्बर 2025]

एवन कुमार शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2025

S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organization, Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2013 in so far as they relate to the post of Assistant (Hindi), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Junior Translation Officer in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Junior Translation Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Translation Officer.	47* (2025) * Subject	General Central Service,	Level -6 (Rs.35400-112400) in	Not applicable.	Not exceeding thirty years (Relaxable for	Essential qualification: (a) Master's degree of a

	to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	the pay matrix.		Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level or Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject as the medium of examination at the degree level or Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (b) recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and *vice versa* or two years experience of translation work from Hindi to English and *vice versa* in the Central Government or State Government or Union territory Office, including Government of India Undertaking. **Note:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one years or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruitment under column (7).	Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director General, Defence Research and Development Organisation - Chairman; 2. A Director from Defence Research and Development Organisation - Member; 3. Under Secretary, Ministry of Defence, Defence (Research and Development or Deputy Director, Armed Forces headquarter Civil Service, Ministry of Defence – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. DHRD/17305/Misc/C/P/04/986/D(R&D) dated, the 16 September 2025]

AVON KUMAR SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.10 15:50:34 +05'30'